खण्ड-384, अंक-1
मंगलवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(23 फरवरी, 1988 ई0)

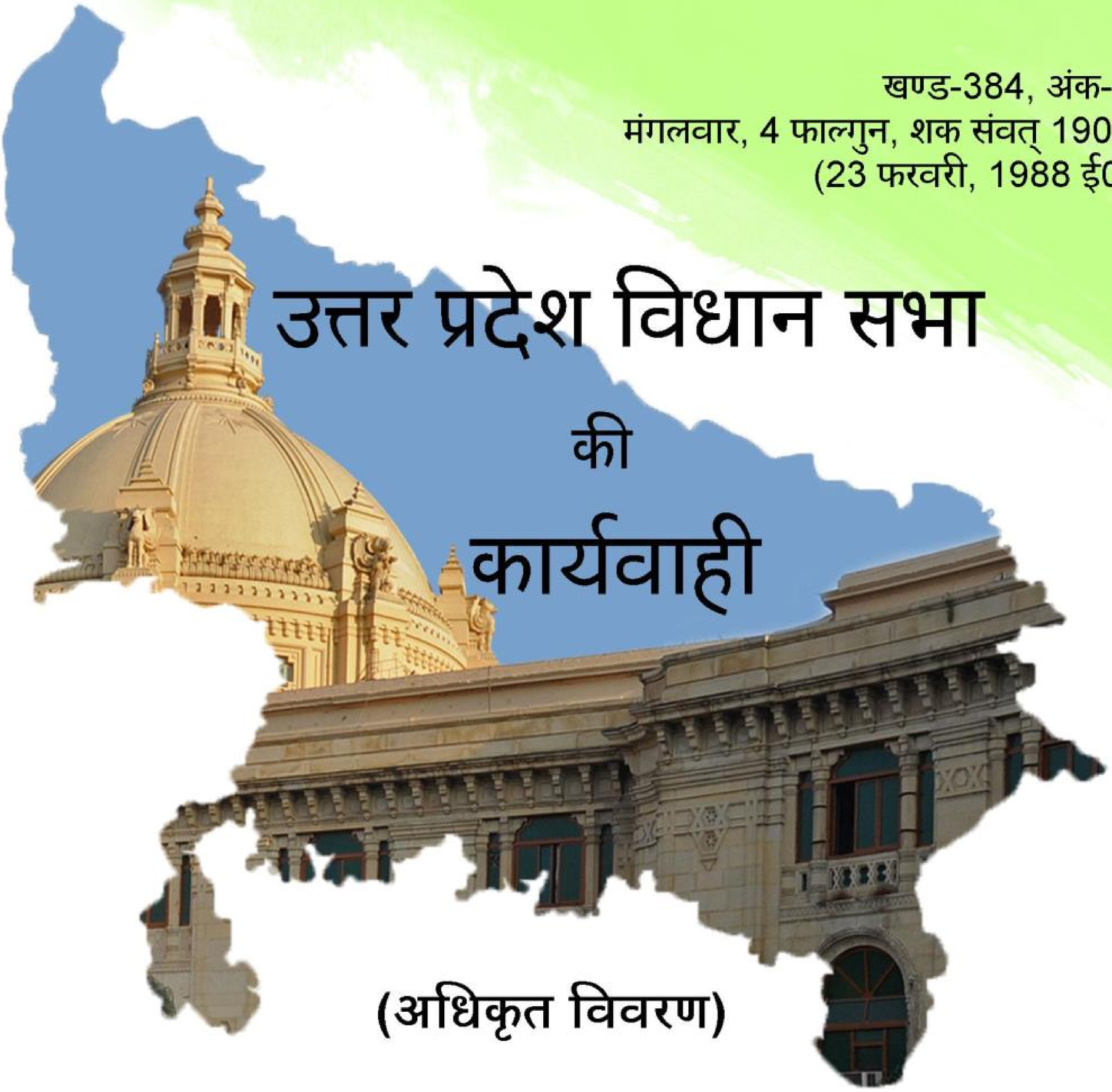

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 384 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल, मन्त्रि परिषद् तथा नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी, अधिष्ठाता मण्डल	क–ङ
उपस्थित सदस्य	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर औचित्य का प्रश्न	2
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	3
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में आपत्ति	3–6
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	6–7
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, अध्यादेश 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	7
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	7
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	7
उत्तर प्रदेश विनियोग (1987–88 का अनुपूरक) विधेयक, 1988 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	7
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	8
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	8
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	8–11
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 (पुरःस्थापित किया गया)	11–12
परिशिष्ट 'क'	13–22

विधान सभा सचिवालय पटना

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मन्त्रि परिषद्

1—श्री वीर बहादुर सिंह मुख्य मन्त्री।	सामान्य प्रशासन, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन, सार्वजनिक निर्माण, वित्त, न्याय, गन्ना विकास, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, राष्ट्रीय एकीकरण, सूचना, पूर्व धर्मस्व, सिंचाई, खाद्य तथा रसद, आबकारी एवं मद्य निषेध, उद्योग, पशुधन, जेल एवं राजनैतिक पेंशन, नियोजन, ऊर्जा तथा परिवहन।
2—श्री बल्देव सिंह आर्य ..	वन मन्त्री।
3—श्री लोकपति त्रिपाठी ..	जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री।
4—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी	हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री।
5—श्री नरेन्द्र सिंह ..	कृषि मन्त्री।
6—श्री श्याम सूरत उपाध्याय ..	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री।
7—श्री अरुण कुमार सिंह (सदस्य, विधान परिषद्)। ..	सहकारिता मन्त्री।
8—श्री सिब्ते रजी (सदस्य, विधान परिषद्)। ..	शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ।
9—श्री गोपीनाथ दीक्षित ..	गृह मन्त्री।
10—श्री अम्मार रिजवी (सदस्य, विधान परिषद्)। ..	संसदीय कार्य एवं राजस्व मन्त्री।
11—श्री सईदुल हसन ..	श्रम मन्त्री।

राज्य मन्त्री

1—श्री हुकुम सिंह ..	संसदीय कार्य, खाद्य एवं रसद, पशुधन मन्त्री।
2—श्रीमती पद्मा सेठ ..	नगर विकास, जलपूर्ति एवं नगर भूमि, आवास मन्त्री।
3—श्री शिव बालक पासी ..	कृषि मन्त्री।
4—श्री ओम प्रकाश रिछारिया ..	वित्त तथा नियोजन मन्त्री।
5—श्री गौरी शंकर ..	राजस्व मन्त्री।
6—श्री मानपाल सिंह ..	खाद्य तथा रसद मन्त्री।
7—श्री प्रमोद कुमार तिवारी ..	ऊर्जा तथा पर्यटन मन्त्री।
8—श्री भोला शंकर मौर्य ..	सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।
9—श्री निसार अहमद अन्सारी (सदस्य, विधान परिषद्)। ..	लघु उद्योग, एवं हथकरघा मन्त्री।
10—श्री राम औतार दीक्षित ..	पर्वतीय विकास, एवं सहकारिता मन्त्री।
11—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ..	गृह, न्याय, जेल मन्त्री।

12—श्री चेतराम गंगवार	..	प्राविधिक शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, युवक कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मन्त्री।
13—श्री राम नरेश शुक्ल	..	सामान्य प्रशासन, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, राजनैतिक पेंशन मन्त्री।
14—श्री सीता राम निषाद	..	मत्स्य, सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण मन्त्री।
15—कु0 सरस्वती अम्माल (सदस्य, विधान परिषद्)		श्रम, हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री।
16—श्री संकठा प्रसाद शास्त्री	..	शिक्षा मन्त्री।
1 —श्री प्रवीण कुमार शर्मा	.	उच्च शिक्षा मन्त्री।
18—श्रीमती दीपा (सदस्य, विधान परिषद्)।		पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, विज्ञान एवं प्रोद्योग। सांस्कृतिक कार्य, सूचना मन्त्री।
19—श्री राम नाथ मुन्शी	..	आबकारी, गन्ना विकास, परिवहन मन्त्री।

उप मन्त्री

श्रीमती प्रमीला बद्धवार मेहरा — पर्यटन, प्रोटोकाल मन्त्री।

नेता, विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोक चन्द्र

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिष्ठाता मण्डल

1—श्रीमती कमला साहनी (बस्ती)।
2—डा० कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा)।
3—श्री खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर)
4—श्री जयदीप सिंह बरार (बरेली)
5—श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव)।
6—श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (उन्नाव)।
7—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (बाराबंकी)।
8—कुंवर रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद)।
9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (सीतापुर)।
10—डा० शिवानन्द नौटियाल (गढ़वाल)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9136

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 1988

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 1 बजकर 30 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
अशोक सेहरा, श्री	आगरा
आर0एन0 पाठक, श्री	कानपुर
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़
कनक सिंह, श्री	गाजियाबाद
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
प्रभुदयाल प्रधान, श्री	मेरठ
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बेनीबाई, श्रीमती	झांसी
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर सिंह, श्री	गोण्डा
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर औचित्य का प्रश्न

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपना भाषण पढ़ा नहीं वह बिना पढ़े चले गये (व्यवधान) यह यहां पढ़ा नहीं जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, द्विवेदी जी आप कृपा करके बैठ जायं (अत्यधिक शोर होने पर) माननीय सरदार सिंह जी बैठ जायं। माननीय सरदार सिंह जी आपने जो सूचना नियम 300 के अंतर्गत दी है उसे मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री सरदार सिंह–

मैंने 300 में नहीं . . . . (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

वह कुर्सी खाली छोड़ गये ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें । मेरी व्यवस्था सुन लीजिए । माननीय राज्यपाल महोदय, ठीक 11 बजे पधारे। उन्होंने अपने अभिभाषण को पढ़ना शुरू किया और कुछ अंश पढ़े भी। इसी बीच कुछ माननीय सदस्यों ने कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की और अध्यक्ष पीठ की तरफ बढ़ना चाहा । ऐसी परिस्थिति में अगर श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रख दी और वह चले गये तो संवैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति समझी जायेगी। अतः इस औचित्य के प्रश्न को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने नियम 300 के अन्तर्गत व्यवस्था दी । मेरा व्यवस्था का प्रश्न कृपा कर सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी आपने जो व्यवस्था दी वह हमें शिरोधार्य है लेकिन मैं नम्रतापूर्वक यह जानना चाहता हूं कि (व्यवधान) वह किस बात पर व्यवस्था दी गयी ? वह कौन सी बात थी जिस पर आपने व्यवस्था दी ? वह कौन सी समस्या थी जो माननीय ब्रह्मदत्त जी और माननीय सरदार सिंह जी ने उठायी है?

श्री अध्यक्ष–

मैंने बताया कि उन्होंने यह कहा कि राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण बिना पढ़े चले गये (व्यवधान) अब आप बैठें ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

मैं अब अभिभाषण को पढ़ता हूं :

"माननीय सदस्यगण,

विधान मण्डल के वर्ष 1988 के प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है । इस अवसर पर मैं नव वर्ष की शुभ कामनायें देते हुये आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। (पढ़ा हुआ मान लिया जाय की आवाजें आने पर)

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आखिरी पैरा पढ़ देता हूं ।

"माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख नीतियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। विधान मण्डल के इस सत्र में आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 1988-89 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायगा। इसे पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायगी। विगत सत्र के बाद मैंने कुछ अध्यादेश जारी किये हैं जिनको प्रतिस्थापित करने वाले तथा अन्य विधेयक भी आपके विचारार्थ इस सत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य के सामने जो महत्वपूर्ण और गम्भीर समस्यायें हैं उनके समाधान के लिये और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए आप सभी गम्भीरतापूर्वक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की परम्पराओं, मर्यादाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप इस प्रदेश की गौरवशाली परम्पराओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें । जयहिन्द।"

(सदन की सहमति से अभिभाषण का शेष भाग पढ़ा हुआ माना गया। श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 13 पर)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एजेन्डे की मद संख्या 2 पर मेरी वैधानिक आपत्ति है जिसको आप सुन लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी मैं सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने आ रहा था तो मेरी आंख के सामने ही जी0 पी0 ओ0 पार्क में जो राष्ट्रीय मोर्चे के लोग गांधी जी की मूर्ति के सामने धरना पर बैठे थे और उन निहत्थे लोगों पर इस सरकार की पुलिस लाठियां चला रही थी, तो इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। (व्यवधान) जी0पी0ओ0 पार्क इस समय पुलिस छावनी बना है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जायें। (व्यवधान होने पर) अब आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त आपकी क्या आपत्ति है?

श्री शतरुद्र प्रकाश

(व्यवधान) x x x (अत्यधिक शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा । पूरा बजट सत्र बाकी है और उसमें जो कुछ कहेंगे वह सुना जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मद संख्या 2 के बारे में मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि कोई भी संशोधन कभी ऐसा नहीं हो सकता है जो कि विधेयक की मूल भावना का नकारात्मक प्रभाव रखता हो । मान्यवर, अधिनियम की धारा-5 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि लोकायुक्त का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें न उस पद पर अथवा न उससे भिन्न लाभ के पद पर रखा जायेगा परन्तु इसमें 5 वर्ष से 6 वर्ष अर्थात् एक वर्ष बढ़ाकर अधिनियम की धारा-5 में जानबूझकर लोकायुक्त को लोभ और लालच देकर आरोपों के घेरे में लाने का घृणित कार्य किया गया है और एक वर्ष का कार्यकाल आर्डिनेन्स द्वारा बढ़ाया, जिसके पीछे भावना है कि यहां के एक राज्य मंत्री और 16 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त के सामने वाद प्रस्तुत था, उस वाद को प्रभावित करने के लिए मान्यवर, सरकार ने जानबूझकर उन्हें पुरस्कृत करने का यह प्रयास किया है। मैं आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं । इस संबंध में प्रदेश के एक वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 अफसर श्री धर्म सिंह रावत और प्रसिद्ध पत्रकार, श्री रामदत्त जी उस मामले में अपनी गवाही देना चाहते थे, लेकिन लोक आयुक्त ने उनकी गवाही न लेकर उस पर एकतरफा कार्यवाही कर दी . . .

(व्यवधान)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है आप इनको रोकें।

श्री अध्यक्ष–

जब यह मामला सदन के सामने आवे तब आप इस पर अपनी आपत्ति उठाएं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने लोक आयुक्त के बारे में आपत्ति की है और मैं उस पर बोल रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैंने भी लिखकर इस पर दिया है और जो यह संशोधन अध्यादेश है उसके बारे में यह मुझे कहना है आपत्ति के रूप में । मान्यवर, जो अधिनियम है, उस अधिनियम की धारा 5(3) में साफ लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने पढ़कर भी सुनाना चाहता हूं . . . .

(व्यवधान के मध्य)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री खान गुफरान जाहिदी –

हमारा व्यवस्था का सवाल है, क्या लोक आयुक्त के सिलसिले में कोई चर्चा इस तरह यहां पर हो सकती है। गवाही ली या नहीं ली, यह यहां पर बहस का मुद्दा नहीं हो सकता है। यह तो एक अलग स्वतंत्र इकाई (इन्डेपेन्डेन्ट बाडी) बनाई गयी थी.....

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं अपनी बात आपकी आज्ञा से पूरी कर लूं, मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा था..

(पुनः व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस पर बहस की इजाजत दे रहे हैं? यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरी संवैधानिक आपत्ति है . . .

श्री अध्यक्ष–

लेकिन यह संविधान के विरुद्ध कैसे हो सकती है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरी आपत्ति आप सुन लीजिए, मैंने आपको लिखकर दिया है और मेरी आपत्ति बिना सुने और सत्ता पक्ष के एक सदस्य के कहने पर अपना निर्णय इस तरह बदलेंगे तो हमारे ऊपर आपका कैसा असर पड़ेगा, यह आप सोचें । मैं बोल रहा हूं और उसमें मा0 खान गुफरान जाहिदी बीच-बीच में बोलकर मुझे अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं । मैं अपनी बात आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं (व्यवधान) मैंने तो संवैधानिक आपत्ति आपको लिख कर दी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात रखिये । (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह बहस का मौजू नहीं है । जब यह आयेगा तो उस समय इस पर कहियेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

सदन के पटल पर रखने से पहले संवैधानिक आपत्ति की जा सकती है । आपने राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को सुना है और मैं अपनी बात रख भी नहीं पाया कि मुझे आपने रोक दिया । तो सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के कहने पर आप इस तरह करेंगे तो यह कैसे चलेगा ?

श्री नरेन्द्र देव–

आपकी बिना अनुमति के जिस विषय पर बहस नहीं हो सकती है, यह बराबर बोलते चले जा रहे हैं और आपके रोकने पर भी नहीं बैठ रहे हैं। आप इनको बैठाइये (व्यवधान)।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं संविधान के अनुसार अपनी बात कह रहा हूं । जिस समय सदन चल रहा था । 5 जनवरी, 1988 को यह सदन समाप्त हुआ और 8 जनवरी, 1988 को इसका सत्रावसान किया गया . . .

श्री अध्यक्ष–

आप बहस में जा रहे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

नहीं, मैं संविधान की स्थिति बता रहा हूं, सुन तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988†

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 2 माननीय मुख्य मंत्री ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आपको [x x x] मुझे समय नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप आरोप लगा रहे हैं आप मेहरबानी करके ऐसे आरोप न लगायें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं [x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप सदन छोड़ें । शतरुद्र प्रकाश जी आप सदन छोड़ें । मैं शतरुद्र प्रकाश जी को इंगित करता हूं . . . (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मैं प्रस्ताव करता हूं . . .

(घोर व्यवधान)

मा0 नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मद संख्या–2 सदन में पेश करने से पूर्व माननीय गुप्ता जी ने एवं माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने वैधानिक आपत्ति उठाई । आपने गुप्ता जी को सुना और (व्यवधान) मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी वैधानिक आपत्ति उठा रहे हैं जिसकी पूर्व सूचना दी जा चुकी है । मान्यवर, तो मैं समझता हूं कि आप न्याय के लिए बैठे हैं

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†छापा नहीं गया ।

संरक्षण के लिए बैठे हैं । शतरुद्र प्रकाश जी संवैधानिक बात कह रहे हैं तो आप उनको सुन लें यह महत्वपूर्ण आपत्ति है यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब विधेयक आये, लोकायुक्त की रिपोर्ट आये तो आप यह आपत्ति उठा सकते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपने मुझे इंगित कर दिया तो आप मुझे निकलवाइए ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1988†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

शतरुद्र प्रकाश जी आप कृपा करके बैठें ।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन) अध्यादेश, 1988 †

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का अनुपूरक) विधेयक, 1988†

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का अनुपूरक) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 जनवरी, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन-विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 4 जनवरी, 1988 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति से दिनांक 7 जनवरी, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987†

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 1 जनवरी, 1988 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 जनवरी, 1988 को प्राप्त हो गयी वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987†

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 1 जनवरी 1988 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 जनवरी, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 1988 की बैठक में सिफारिश की है कि सदन का दिनांक 23 फरवरी, 1988 से 29 मार्च, 1988 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय:–

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

[फरवरी, 1988

23 मंगलवार	12·30 बजे अपराह्न–	1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया जाना। 2–औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरः स्थापन।
24 बुधवार		1–निधन के निर्देश । 2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पहला दिन)।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

†छापा नहीं गया ।

25 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (दूसरा दिन)।
26 शुक्रवार	1—श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तीसरा दिन)। 2—5 बजे अपराह्न : वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण
27 शनिवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (चौथा एवं अंतिम दिन)।
28 रविवार	बैठक नहीं होगी।
29 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (पहला दिन)।

मार्च, 1988

1 मंगलवार 2 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (दूसरा व तीसरा दिन)।
3 गुरुवार 4 शुक्रवार	(होली का अवकाश)
5 शनिवार 6 रविवार	बैठक नहीं होगी।
7 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (चौथा दिन)।
8 मंगलवार	1—वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (अंतिम दिन)। 2—वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
9 बुधवार 10 गुरुवार 11 शुक्रवार 12 शनिवार	वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
13 रविवार	बैठक नहीं होगी।
14 सोमवार	1—वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्यय के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2—5.00 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 1987-88 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण।

15 मंगलवार — 1–वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–वित्तीय वर्ष 1987-88 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

16 बुधवार, 17 गुरुवार, 18 शुक्रवार, 19 शनिवार — वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

20 रविवार — बैठक नहीं होगी।

21 सोमवार, 22 मंगलवार, 23 बुधवार, 24 गुरुवार, 25 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

26 शनिवार — (राम नवमी का अवकाश)

27 रविवार — बैठक नहीं होगी।

28 सोमवार — वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

29 मंगलवार — 1–वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(4.00 बजे अपराह्न तक)

2–4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।]

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अभी जो प्रस्ताव रखा गया है और आपने जो अभी सिफारिशों की सूचना दी है, उसके बारे में मैंने एक संशोधन की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो प्रस्ताव दिया है उसको पढ़कर सुना दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने जो संशोधन की सूचना दी है उसमें मैं यह चाहता हूं कि यह सदन इस निर्देश के साथ इन सिफारिशों को वापस करता है कि शनिवार को अवकाश का दिन

मानकर और शुक्रवार को असरकारी दिवस मानते हुये जैसी कि मैंने सूचना दी है, इसे कार्य मंत्रणा समिति को वापस किया जाय । मान्यवर, सरकार तो चाहती है कि 31 मार्च तक बजट पास हो जाय । हम भी चाहते हैं । संवैधानिक तरीके से 31 मार्च तक बजट पास हो जाना चाहिए लेकिन इसका संवैधानिक दायित्व सरकार पर है । अगर 31 मार्च तक सरकार बजट पास कराना चाहती थी तो सदन को 15 दिन पहले बुलाते ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस पर मुझे बोलने का अधिकार है । आप मुझे पांच मिनट का समय दे सकते हैं तथा इस संशोधन पर अधिकतम आधा घंटा चर्चा हो सकती है । ऐसा नियम 226 में स्पष्ट उल्लेख है ।

श्री अध्यक्ष–

आपका यह संशोधन है :–

"प्रतिवेदन कार्य मंत्रणा समिति को इस निदेश के साथ पुनः निर्दिष्ट किया जाय कि वह प्रत्येक शनिवार को अवकाश का दिन मानते हुये उन दिनों के लिये प्रस्तावित कार्य को अन्य दिनों में निर्धारित करके तथा प्रत्येक शुक्रवार को इस सत्र के असरकारी दिवसों एवं पिछले सत्रों के बचे हुये असरकारी दिवसों हेतु निर्धारित करके संशोधित समय सारिणी की सूचना सदन के समक्ष प्रस्तुत करें ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज सदन में दी गयी है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, नियमों की [xxx] होगी तो उचित नहीं है ।

उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988†.

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

नोट [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†दिनांक 24 फरवरी, 1988 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
23 फरवरी, 1988

विधान सभा सदस्य पुस्तिका

नत्थी क

(देखिये पृष्ठ 3 पर)

माननीय सदस्यगण,

विधान मण्डल के वर्ष 1988 के प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं नव वर्ष की शुभ कामनायें देते हुये आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।

पिछले कुछ महीनों के दौरान हमारे बीच से कई महान विभूतियां इस संसार को छोड़कर चली गयीं। मैं विशेष रूप से सीमान्त गांधी (खान अब्दुल गफ्फार खां), चौधरी चरण सिंह, सुश्री महादेवी वर्मा और श्री एम0 जी0 रामचन्द्रन, श्री कर्पूरी ठाकुर का उल्लेख करना चाहूंगा। इनके न रहने से हम सबको महान शोक हुआ है। दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

वर्ष 1987 में प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा जिससे प्रदेश का अधिकांश भाग बुरी तरह प्रभावित हुआ है और हमारे प्रगति के कार्यक्रम में उससे रुकावट आयी है। मेरी सरकार ने इस भीषण सूखे से उत्पन्न समस्याओं से जन साधारण को विशेषकर समाज के निर्बल वर्गों को, सहायता देने के लिये अनेक प्रयास किये हैं और राहत कार्यक्रम बड़ी तेजी के साथ चलाये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस विषम परिस्थिति में जो हमारी सहायता की है उसके लिये हम उनके आभारी हैं। आप सबके सहयोग से मेरी सरकार ने सूखे की समस्या का सफलतापूर्वक सामना किया है और जन साधारण को विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को, अपेक्षित राहत प्रदान की है।

राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखना सरकार का मूल कर्तव्य है। मेरी सरकार पुलिस प्रशासन को अधिक चुस्त, स्वच्छ और कुशल बनाने तथा अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने का हर सम्भव प्रयास कर रही है। यही कारण है कि अपराधों की संख्या में पिछले वर्षों की अपेक्षा कमी आयी है। बड़ी संख्या में डकैतों के खिलाफ कार्यवाही की गयी और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किये गये। पुलिस को अधिक सक्षम और गतिशील बनाने के उद्देश्य से 39 नये थानों तथा 6 रिपोर्टिंग चौकियों की स्थापना की गयी। महिला पुलिस के भी बहुत से पद सृजित किये गये हैं। वर्तमान समस्या को दृष्टिगत रखते हुये बम डिस्पोजल इकाइयों का गठन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश की पुलिस संचार व्यवस्था का सुधार एवं आधुनिकीकरण किया गया है। अग्निकांड पर नियंत्रण एवं प्रभावी कार्यवाही के लिये इस वर्ष 20 नये फायर स्टेशन भी खोले गये हैं। प्रदेश की पी0 ए0 सी0 ने शान्ति व्यवस्था एवं बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में सफलतापूर्वक योगदान किया है तथा प्रदेश के बाहर भी पी0 ए0 सी0 के कार्य की सराहना हुई है। पुलिस बल की क्षमता में वृद्धि हेतु अखिल भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी संवर्गों के अधिकारियों व कर्मचारियों को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से पौष्टिक आहार भत्ता दिया जा रहा है। पुलिस कर्मचारियों की आवासीय समस्या के समाधान के लिये आवास गृहों का निर्माण तीव्रता से कराया जा रहा है।

इस वर्ष भीषण सूखे के कारण खरीफ की फसल पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । खरीफ में 116 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था । सरकार ने इस चुनौती का सामना किसानों के सहयोग व परिश्रम से पूरी मुस्तैदी के साथ किया है । इसके परिणामस्वरूप अब 82 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन सम्भव हो सका है । आशा है कि रबी की फसल में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य सूखे के बावजूद प्राप्त किया जा सकेगा । आगामी वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 355 लाख मीट्रीक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 15 लाख मीट्रीक टन निर्धारित किया गया है । मेरी सरकार चावल उत्पादन की विशेष योजना, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि और सुधार का प्रयास कर रही है । रासायनिक उर्वरक और गुणात्मक बीजों का वितरण सुलभ कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रदेश के सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को उर्वरकों के लिये 21.70 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है । भूमि संरक्षण और बीहड़ सुधार की योजनाओं के अन्तर्गत तीव्रगति से कार्य चलाया जा रहा है। फल और शाकभाजी के उत्पादन में वृद्धि के लिये बीज और पौध का वितरण किया जा रहा है ।

मेरी सरकार राजस्व प्रशासन में सुधार के प्रति कृत संकल्प है जिससे विशेष रूप से समाज के निर्बल वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को अपेक्षित लाभ उपलब्ध हो और उनके हितों की रक्षा हो सके । बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों ग्रामीण शिल्पकारों, भूमिहीनों कृषि श्रमिकों एवं निर्बल वर्ग के अन्य व्यक्तियों को जिनके पास मकान नहीं है, आवास स्थल दिये जाने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में भी माह नवम्बर तक 45,714 आवास स्थल आवंटित किये जा चुके हैं जिनमें 20,901 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के लिए हैं । अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत हरिजनों, खेतिहर मजदूरों तथा अन्य निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । इसके अन्तर्गत जनवरी, 1988 तक लगभग 1.05 लाख हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है जिसके कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 2.21 लाख है । इसमें से अधिकतर आवंटी अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं ।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 1985-86 की भांति वर्ष 1986-87 में भी बीस-सूत्री कार्यक्रम में इस प्रदेश को पुनः प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है । वर्ष 1986-87 में भारत सरकार द्वारा नये बीस-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गयी है जिसके निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन के लिए मेरी सरकार कृत संकल्प है । इस वर्ष सूखे जैसी दैवी आपदा को देखते हुए सभी प्रमुख कार्यक्रमों विशेषकर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, के कार्यान्वयन पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जा रहा है। गांव में स्वच्छ-पेय जल उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित लक्ष्य का लगभग 88 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है । अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में भी उपलब्धियां अच्छी हैं ।

न्याय प्रशासन को सुदृढ़ करने, शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने और मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में मेरी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है । वादकारी जनता

की सुविधा की दृष्टि से इस वर्ष 3 तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के, एक तहसील मुख्यालय पर अपर जिला जज के और एक तहसील मुख्यालय पर सिविल जज के न्यायालयों की स्थापना की गयी है। आर्थिक अपराधों के मामलों में सुनवाई के लिए इलाहाबाद के अतिरिक्त कानपुर में भी विशेष न्यायालय स्थापित कर दिया गया है। कानूनी सहायता और परामर्श योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987 में एक सौ ग्यारह लोक अदालतों और शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें 1,16,700 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 8,468 मामलों में निःशुल्क विधिक परामर्श दिया गया। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा इस वर्ष अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त विधायी प्रारूपण के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। भारत में यह अपने प्रकार का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के न्यायिक अधिकारियों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस संस्थान को और सुदृढ़ किया जायगा।

प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में रहती है। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। इस वर्ष प्रदेश में अभूतपूर्व सूखे के कारण बहुत हानि हुई है। अनेक समस्यायें पैदा हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की सामान्य योजनाओं के अतिरिक्त सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर रोजगार देने की योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार की मांग के अनुसार प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक परियोजना प्रारम्भ की गयी है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। इस योजना में अपेक्षित गुणात्मक सुधार लाने के लिए मेरी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जनवरी तक लगभग 341.26 लाख मानव दिवस सृजित किए गये और अगले वर्ष में 550 लाख मानव दिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, निर्बल वर्ग आवास योजना, हरिजन पेयजल योजना, बायोगैस कार्यक्रम और धूमरहित विकसित चूल्हा परियोजना के अन्तर्गत संतोषजनक प्रगति हुई है। सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रदेश के 16 जनपदों के 87 विकास खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य सेक्टर, भूमि एवं जल संरक्षण द्वारा नवम्बर, 1987 तक 7,573 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया, सिंचन क्षमता का सृजन 4.717 हेक्टेयर में किया गया और वनीकरण एवं चरागाह का विकास 5,269 हेक्टेयर में किया गया।

मेरी सरकार सिंचाई सुविधाओं में विस्तार और उपलब्ध सिंचन क्षमता के समुचित उपयोग की आवश्यकता के प्रति सजग है। इन्हीं सुविधाओं के कारण भीषण सूखा से क्षति को सीमित रखा जा सका। ऐसी मध्यम परियोजनाओं को जो आगामी दो वर्षों में पूरी हो सकेंगी, प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उनका लाभ शीघ्र मिल सके। आगामी वित्तीय वर्ष में 10 वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं को पूर्ण करने और 1.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है। सिंचाई विभाग द्वारा लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत इण्डो-नीदरलैण्ड सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 750 नलकूपों के निर्माण की परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है।

वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सृजित होने वाली सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करके इन क्षेत्रों का समन्वित एवं एकीकृत विकास करने की दृष्टि से समादेश क्षेत्रीय विकास परियोजना प्रदेश में 3 नहर प्रणालियां शारदा सहायक, रामगंगा और गण्डक नहर समादेश के 26 जनपदों के 345 विकास खण्डों में चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष माह नवम्बर, 1987 तक लगभग 36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्य निष्पादित किया जा चुका है और 1,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ओसराबन्दी का कार्य पूरा किया जा चुका है। लघु सिंचाई कार्यों द्वारा प्रदेश में मार्च, 1987 तक लगभग 102 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित हो चुकी थी। इस वर्ष 7.18 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की गयी। प्रदेश के लघु और सीमान्त कृषकों की सहायता के लिए केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत इस वर्ष निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य 61,000 से बढ़ा कर 65,000 निर्धारित किया गया था जिसे पूरा कर लिया गया।

प्रदेश के आर्थिक विकास तथा निर्बल वर्गों के उत्थान में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। सहकारिता के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनायें चलायी जा रही हैं। सूखे से प्रभावित 55 जिलों में रबी की फसल के लिए सीमान्त कृषकों को सहकारिता के माध्यम से 5 करोड़ रुपये का अग्रिम अनुदान आवंटित किया गया है। बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोक्ता सुविधाओं के वितरण में सीमान्त तथा समाज के कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

समस्त प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों, सहकारी संघों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। शेष समितियों के चुनाव कराये जा रहे हैं। कृषि उत्पादन में सहायता के लिए कृषकों को दिसम्बर, 1987 तक लगभग 198 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण के रूप में, 13 करोड़ रुपये मध्यकालीन ऋण के रूप में और 70 करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋण के रूप में वितरित किये गये। पी0 सी0 एफ0 द्वारा कृषि उत्पादन हेतु नगदी ऋण के साथ-साथ रासायनिक उर्वरक, उन्नतशील बीज, पम्प सैट तथा कीटनाशक दवायें कृषकों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

मेरी सरकार "सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य" की राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रही है। इस नीति के अन्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को विशेष गति दी जा रही है। जन आकांक्षाओं के अनुरूप आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, समुन्नत विस्तार पर भी बल दिया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों में जो उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं, वह अपने आप में एक कीर्तिमान हैं। वर्ष 1986-87 में इस कार्यक्रम की विभिन्न विधियों की उपलब्धियां अब तक प्राप्त पिछले सभी वर्षों की अपेक्षा सर्वाधिक रहीं और लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने के कारण इस राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 2.50 करोड़ रुपये का पुरस्कार भी स्वीकृत किया गया है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में जैनेटिक्स एण्ड इम्यूनोलाजी, न्यूरो साइंसेज, कारडियक साइंसेज, में स्ट्रो इन्ट्रोलाजी, नेफ्रालाजी और इण्डोक्रिनोलाजी विभागों के वाह्य रोगी विभागों में कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है।

मेरी सरकार शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील है। प्राथमिक एवं बेसिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री एवं विज्ञान सामग्री तथा अन्य साज-सज्जा के लिये अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। निर्बल वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था और बुक बैंक की व्यवस्था का प्रसार किया जा रहा है। प्रत्येक तहसील में कम से कम एक बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में इस वर्ष 12 विद्यालय खोले गये हैं और अब केवल 19 तहसील अवशेष रह गयी हैं जहां आगामी वित्तीय वर्ष में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे। माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की दिशा में गति निर्धारक नवोदय विद्यालयों की स्थापना का कार्य द्रुतगति से सम्पन्न हो रहा है और अब तक 19 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार की दृष्टि से अध्यापकों को वृहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बद्धीय विश्वविद्यालय के रूप में कर दी गयी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत नयी शिक्षा नामक परियोजना प्रारम्भ की गयी है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के साथ बीस सूत्रीय कार्यक्रम में भी सम्मिलित है, उसके अन्तर्गत निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जा रहा है।

सामान्य शिक्षा के साथ-साथ मेरी सरकार राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिये प्राविधिक शिक्षा के प्रसार और उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिये कृत संकल्प है। आगामी वित्तीय वर्ष में पीलीभीत में पालिटेकनिक की स्थापना के पश्चात् प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक पालिटेकनिक खोले जाने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा। कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक सुविधायें दिये जाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक नीति के अनुरूप सन्तुलित औद्योगिक विकास की नीति अपनायी है। इस नीति के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में से 9 उद्योग रहित जिलों में लगभग 6 करोड़ रुपये प्रति जिले की लागत से 'ग्रोथ सेन्टर्स' की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी औद्योगिक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। इस समय प्रदेश में 5,200 करोड़ रुपये की लागत से वाणिज्यिक वाहन, स्कूटर, पोलियस्टर धागे, पोलियस्टर फिल्म्स तथा चिप्स, केबिल्स, टेली-कम्यूनिकेशन केबिल्स, फ्लोट ग्लास, सोयाबीन एवं अन्य खाद्य पदार्थों पर आधारित इकाइयां, रासायनिक खाद की बड़ी इकाइयां और पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित विभिन्न उद्योग लगाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र की कई परियोजनाओं का स्थापना कार्य प्रगति पर है।

इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के त्वरित विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अल्कोहल के औद्योगिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण जैविक रसायनों के निर्माण के लिए 265 लाख लीटर औद्योगिक अल्कोहल की खपत के लिये 10 उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सुदूर ग्रामीण अंचलों के औद्योगीकरण के लिये राज्य के 895 विकास खण्डों में से अब तक कुल 380 मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । ग्राम्य एवं कुटीर उद्योगों तथा रेशम उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहन के लिये ग्राम्य एवं कुटीर उद्योग निदेशालय तथा रेशम उद्योग निदेशालय की स्थापना की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष 22 हजार लघु स्तरीय इकाइयों, 30 हजार दस्तकारी इकाइयों और 17,700 ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के सहयोग से कल्याणकारी योजनायें तैयार की जा रही हैं । स्थानीय बुनकरों की समस्याओं के निराकरण के लिये "बुनकर बन्धु" का गठन किया गया है ।

मेरी सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि औद्योगिक सम्बन्धों में स्थिति अच्छी रहे और श्रमिकों का शोषण न हो । बाल नियोजन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के विस्थापित बच्चों के लिये भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी आर्थिक सहायता से बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिये परियोजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं ।

मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के हितों की रक्षा, उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने और उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए कटिबद्ध है । इस उद्देश्य से उनके कल्याण के लिए अनेक उपयोगी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । आगामी वित्तीय वर्ष में 5 नये राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल, 5 पी0 सी0 एस0 प्रशिक्षण केन्द्र और विमुक्त जातियों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को कुटीर उद्योग हेतु सहायता और कृषि कार्य हेतु यन्त्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत उनके समग्र विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है ।

मेरी सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों व संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण की योजनायें चलाई जा रही हैं । निराश्रित महिलाओं और विकलांगों के लिए विशेष बल दिया जा रहा है । अपराधी बच्चों की अभिरक्षा, सुधार एवं उनके पुनर्वास की योजनाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से इस प्रदेश में भी किशोर न्याय अधिनियम लागू कर दिया गया है । बाल विकास परियोजनाओं पर प्रभावी नियन्त्रण रखने और उनके अनुश्रवण के लिए हाल में ही एक अलग बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गयी है ।

बेसहारा व्यक्तियों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरण की योजना आरम्भ की गयी है । लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न तथा वस्त्रों का वितरण सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत सरकारी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कराया जा रहा है ।

मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रति जागरूक है । पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम की तीव्र प्रगति के लिए शासन निरन्तर सचेष्ट है । अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । सरकारी एवं सार्वजनिक उद्यमों की सेवाओं में भर्ती हेतु गठित चयन समितियों में अल्पसंख्यकों का एक प्रतिनिधि रखे जाने

का प्राविधान किया गया है । वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं विकास हेतु उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई है । राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता की अभिवृद्धि के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है।

ग्रामीण युवकों एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु मेरी सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वतः रोजगार के लिए समर्थ बनाने के व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना चलायी गयी है । युवा वर्ग में कल्याणकारी नेतृत्व के लिए भी प्रशिक्षण चलाया जा रहा है । समाज सेवा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवकों द्वारा लोक शान्ति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के एकीकृत तथा त्वरित विकास के लिए मेरी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रही है । पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध हो रही है । उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा वर्तमान समय में इकोलोजी एवं पर्यावरण सन्तुलन के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए योजना कार्यान्वियन को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, भूमि एवं जल संरक्षण, एकीकृत जलागम प्रबन्ध, वानिकी, कृषि तथा बागवानी का व्यावसीकरण, पशुपालन, दुग्ध विकास, सिंचाई, विद्युत एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का अधिकतम उपयोग, प्रदूषण रहित उद्योग जैसे इलेक्ट्रानिक्स, ऑप्टिक्स, ऊन एवं रेशम पर आधारित उद्योग का बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है । माइक्रो-हाइडिल योजनाओं तथा आर्थिक एवं उत्पादक कार्यक्रमों को वरीयता दिये जाने के साथ-साथ बीस सूत्री कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जा रहा है । फलों की मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है । गैर मौसमी सब्जी उत्पादन में वृद्धि के लिए पैकेज सर्विसेज की योजना प्रारम्भ की गयी है। सेब तथा अन्य फलों की प्रोसेसिंग के लिए लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत की एक फल प्रोसेसिंग परियोजना कामनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट इकाई द्वारा तैयार की गयी है जिसे कार्य रूप देने के लिए कार्यवाही की जा रही है । इस क्षेत्र में ईंधन के लिए वनों पर दबाव कम करने के लिए एक योजना इनर्जी प्लान्टेशन की उन 5 जिलों के लिए प्रस्तावित की गयी है जिनमें केन्द्र पोषित ग्रामीण ईंधन प्रजाति के वृक्षारोपण की योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है । वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को घास तथा चारे की व्यवस्था के लिए एक योजना आगामी वर्ष में प्रस्तावित है ।

पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए मेरी सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है । प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है । प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास के लिए एक वृहत् योजना कार्यान्वित की जा रही है । पर्यटन उद्योग में निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जायगा ।

समाज के आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुयें नियन्त्रित दर पर उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने जन वितरण प्रणाली एक वृहत् कार्यक्रम के रूप में लागू की है । राज्य स्तर पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का निरन्तर समीक्षा की जा रही है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और

मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत क्रय किये गये खाद्यानों के सुरक्षित भण्डारण के लिए जिला मुख्यालयों पर गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है । आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्यवाही की जा रही है । उपभोक्ताओं के हित को संरक्षण देने के लिए 12 चयनित जिलों में जिला फोरम की स्थापना की जा रही है । वर्ष 1988-89 में ऐसे ही जिला उपभोक्ता फोरम राज्य के अन्य जिलों में भी स्थापित किये जायेंगे ।

गन्ना इस राज्य की एक प्रमुख व्यापारिक फसल है । मेरी सरकार उत्पादित गन्ने की समुचित पेराई व्यवस्था तथा उसका अधिकाधिक मूल्य भुगतान करके किसानों और साथ ही श्रमिकों का हित दृष्टिगत रखते हुए एवं अन्य फसलों के उत्पादन का संतुलन और खाण्डसारी उद्योग के समुचित प्रोत्साहन को भी ध्यान में रखते हुए गन्ना नीतियों का निर्धारण करती आई है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेराई की क्षमता में वृद्धि और चीनी मिलों के विकास हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है । गन्ना कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से गन्ना मूल्य में वृद्धि करते हुए पेराई सत्र 1987-88 के लिए पश्चिम और मध्य क्षेत्र में 27 रुपये प्रति क्विन्टल तथा पूर्वी क्षेत्र में 26.50 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से गन्ना मूल्य भुगतान करने का परामर्श चीनी मिलों को दिया गया है । पेराई सत्र 1986-87 में राज्य में 846.42 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ जिसमें से 271.10 लाख टन चीनी मिलों ने पेराई करके 25.56 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जो पूर्व वर्षों की तुलना में सर्वाधिक था । वर्ष 1986-87 में गन्ना उत्पादकों को देय 656.60 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य में से अक्टूबर, 1987 के अंत तक 654.45 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है जो देय धनराशि का 99.66 प्रतिशत है ।

प्रदेश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में पशुधन की भूमिका को देखते हुए मेरी सरकार ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ा कर जनता को दुग्ध आदि पौष्टिक पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके; साथ ही ग्रामीण जनता विशेषकर ग्रामीण अंचलों के निर्बल आय वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके । पशुओं को सही चिकित्सा व रोग नियन्त्रण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष 75 चिकित्सालय, 71 पशु सेवा केन्द्र तथा 18 द-श्रेणी के पशु चिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं और 8 पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किया गया है । मेरी सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अंचल में निर्बल आय वर्ग के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील है। मछुआ समुदाय के लोगों को आवासीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध करा रही है ।

प्रदेश के समग्र विकास में सड़क परिवहन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार सड़क परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है । इस वर्ष 1600 नई चेसिस क्रय कर ली जायेंगी । बसों के अच्छे रख-रखाव के लिए कार्यशालाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और नये डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रदेश में मोटर गाड़ी कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य के विकास में सड़क एवं पुलों के महत्व के प्रति मेरी सरकार सजग है। नई सड़कों और नये पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों को सम्पर्क मार्गों द्वारा जोड़ा जा रहा है और पुलों का निर्माण कर यातायात सुगम बनाया जा रहा है। समस्याग्रस्त क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों के लिए सड़कों एवं पुलों के निर्माण की स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।

पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने और जन साधरण को सुलभ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जहां मेरी सरकार एक ओर वर्तमान वन्य क्षेत्रों में वृक्षों के घनत्व तथा भूमि एवं जल संरक्षण के सिद्धान्तों के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है, वहीं उसके साथ-साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के अत्यधिक दबाव को देखते हुए समस्त खाली भूमि को वनों से आच्छादित करने का प्रयास अधिक तेजी से कर रही है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुओं के लिए अतिरिक्त चारा उपलब्ध कराने की योजना आगामी वित्तीय वर्ष से मैदानी भागों में भी चालू करने का प्रस्ताव है।

राज्य के आर्थिक विकास में विद्युत का विशेष महत्व है। इस वर्ष सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विद्युत की उपलब्धता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक रहा। बढ़ी हुई मांग को तापीय विद्युत गृहों से अधिक विद्युत उत्पादन करके और कुछ अवधि में बड़े उद्योगों पर कटौती लगा कर पूरा किया गया। नलकूपों और पम्प कैनाल चालू स्थिति में रखने की दृष्टि से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर्स को बदलने के कार्य में तीव्रता लायी गयी है। तापीय विद्युत गृहों के बेहतर परिचालन पर बल दिया गया जिस कारण अधिक विद्युत उत्पादन हुआ और सभी तापीय विद्युत गृहों का सम्मिलित प्लान्ट लोड फैक्टर गत नवम्बर माह तक बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया। विद्युत की उपलब्धता में सुधार के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र को कम से कम 10 घंटे प्रतिदिन बिजली की आपूर्ति की जा सकी है। नवम्बर, 1987 तक प्रदेश के 73,764 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। ऊंचाहार और टाण्डा की परियोजनाओं की एक-एक इकाई तथा आनपारा "ए" की तीसरी इकाई निकट भविष्य में चालू होने की आशा है।

नागर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए मेरी सरकार कृत संकल्प है। जहां एक ओर नई आवासीय कालोनी बनाई जा रही हैं वहां दूसरी ओर वर्तमान मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए 17,500 आवास गृह निर्मित कराये जायेंगे और मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत 1,70,000 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायगा। समस्त नागर और ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल और स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध कराने का कार्य तीव्रगति से कराया जा रहा है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है। सूखे के कारण इस कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है और अब तक चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां हो चुकी हैं। आगामी कुम्भ मेला इलाहाबाद में 14 जनवरी, 1989 से प्रारम्भ होगा जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की सम्भावना है। यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है।

खेल को प्रोत्साहन देने के लिए मेरी सरकार विशेष प्रयास कर रही है । खिलाड़ियों के लिए आवश्यक और आधुनिकतम खेल सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। 28 जिलों में स्टेडियम बना दिये गये हैं और 25 जिलों में निर्माणाधीन हैं । अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार एस्ट्रोटर्फ पर ही हाकी की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं । स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में एस्ट्रोटर्फ लगाया गया है जिस पर जनवरी, 1988 में इन्दिरा गांधी स्मारक अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप हाकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । प्रदेश में दो और स्पोर्ट्स कालेज खोले जा रहे हैं।

मेरी सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि प्रशासन स्वच्छ और गतिशील हो और कर्मचारी कार्यकुशल हों ताकि जनता को अच्छी सेवा उपलब्ध हो सके । इस दृष्टि से अनेक परिवर्तन किये गये हैं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है । मेरी सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड गठित किये जाने का भी निर्णय लिया है । भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए संवेदनशील विभागों में शासन स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है तथा 6 विभागों में नियुक्तियां की जा चुकी हैं ।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख नीतियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । विधान मण्डल के इस सत्र में आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 1988 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायगा । इसे पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायगी । विगत सत्र के बाद मैंने कुछ अध्यादेश जारी किये हैं जिनको प्रतिस्थापित करने वाले तथा अन्य विधेयक भी आपके विचारार्थ इस सत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे । मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य के सामने जो महत्वपूर्ण और गम्भीर समस्यायें हैं उनके समाधान के लिए और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए आप सभी गम्भीरतापूर्वक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की परम्पराओं, मर्यादाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप इस प्रदेश की गौरवशाली परम्पराओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

जयहिन्द ।

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 367 वि0 सभा (65)-1988-813